VII प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेपों के माध्यम से बागवानी विकास

→ horticulture development through Plasticulture Int

उद्देश्य:-

* कृषकों के खेतों में ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाऊस निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग, निम्न टनलों आदि जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से बागवानी विकास का संवर्धन।

* सरकारी फार्मों और भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के फार्मों पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों में और प्रगतिशील किसानों को ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों का प्रदर्शन

* प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्रों के माध्यम से अनुप्रयुक्त अनुसंधान आयोजित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

सहायता की पद्धति

* उर्वरता पर जोर देते हुए सहायता के जरिए लघु-सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
* सब्जियों, फूलों तथा नर्सरी पौधों की खेती के लिए ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* प्रभावपूर्ण कार्यकुशलता के लिए तकनीकी सहायता हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* उर्वरता तथा लघु सिंचाई के लिए कृषक भागीदारी प्रदर्शन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* प्रशिक्षण के जरिए मानव संसाधन विकास
* संरक्षित खेती के लिए सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में नीची सुरंगों, छायादार जालों तथा कृत्रिम जालों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* इसे कारगर तथा उत्तरदायी बनाने के लिए पी.डी.सी. को सुदृढ़ किया जाएगा

स्कीम के अंतर्गत सहायता की पद्धति

1. 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा

क. अ.जा./अ.ज.जा./एस./एम./महिला कृषकों (प्रणाली की कुल लागत का 50% अथवा जो भी कम हो)राशि रूपयों में

राज्य वर्ग　विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म

क

ख

ग

ख. अन्य कृषक वर्ग (प्रणाली की कुल लागत का 35% अथवा जो भी कम हो)

राज्य वर्ग　विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म

क

ख

ग

II 1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा

क अ.जा./अ.ज.जा./एस./एम./महिला कृषकों (प्रणाली की कुल लागत का 50% अथवा जो भी कम हो) राशि रूपयों में

राज्य वर्ग विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म

क → Tob

ख

ग

स्कीम के अंतर्गत सहायता की पद्धति

ख. अन्य कृषक वर्ग (प्रणाली की कुल लागत का 35% अथवा जो भी कम हो)

राज्य वर्ग विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म

क → Tob

ख

ग

II 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा

क अ.जा./अ.ज.जा./एस./एम./महिला कृषकों (प्रणाली की कुल लागत का 50% अथवा जो भी कम हो) राशि रूपयों में

राज्य वर्ग विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म

क → Tob

ख

ग

ख. अन्य कृषक वर्ग (प्रणाली की कुल लागत का 35% अथवा जो भी कम हो)

राज्य वर्ग विभिन्न स्थानों (मीटर) तथा राज्य वर्गों हेतु अधिकतम स्वीकार्य सहायता

आयल पाल्म → Tob

क

ख

ग

VIII. फसल उत्पादकता में सुधार करने हेतु मधुमक्खी पालन का विकास → fig (pic)

लक्ष्य :

* फसल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए परागण के एजेंटों के रूप में मधुमक्खी की भूमिका को प्रोत्साहित करना

* रोग विरोधी प्रकार सहित शहद की उच्च उत्पादकता के लिए मधुमक्खियों की नई शक्ति को विकसित करना

* अधिकतम लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मधुमक्खी पालकों की तरफ से शहद तथा इसके उत्पादों की प्राप्ति, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण आदि करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय स्तर के संघों/सहकारों को प्रोत्साहित करना

* मधुमक्खी कॉलोनियों के संचालन तथा प्रबन्धन में बेरोजगार तथा युवा ठेकेदारों/कृषकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

* जन संचार तथा उपयुक्त स्तर पर पुरस्कारों के जरिए मधुमक्खी पालन के प्रति जागरूकता तथा उसकी तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करना

सहायता की पद्धति :

* फसल उत्पादकता में सुधार करने, अधिक रोजगार पैदा करने तथा शहद उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

* मधुमक्खी पालन में अनुसंधान के लिए सशक्त संस्थानिक सहायता प्रवासी मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने, पुष्प-नक्शों पर आधारित प्रवास हेतु योजना विकसित करने तथा आधारभूत समर्थन प्रदान करने के लिए उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

* अनुसंधान विकास के एकीकरण के जरिए परियोजना मिशन मोड में कार्य करेगी तथा विपणन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

* मधुमक्खी पालन उद्योग के विस्तार में सहायता करने तथा शहद तथा इसके उत्पादों की मांग में सुधार करने के लिए इसके विभिन्न इस्तेमालों के बारे में जनता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाऐंगे।

* सुधरी हुई उत्पादकता तथा बढ़ी हुई आय हेतु मधुमक्खी पालन के समग्र विकास हेतु सहायता संघ पर अधिक बल दिया जाएगा।

(i) मधुमक्खी अनुसंधान को प्रोत्साहन

3 लाख रूपयों की कुल लागत के साथ अनुसंधान संस्थानों के जरिए केन्द्रीय स्टाक विकसित करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। निजी निकायों के लिए सहायता 5 लाख रू. की सीलिंग के साथ परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, इनमें से जो भी कम हो। परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता सीध कृषि एवंसहकारिता विभाग द्वारा संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त कर दी जाएगी।

मधुमक्खी का उत्पादन :

मुख्यतः बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए पंजीकृत मधुमक्खी प्रजनक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता पाने के हकदार होगें जो अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं के लागत का अधिकतम 50% या 2.50 लाख रू. तक सीमित होगा। योजना अवधि के दौरान यह सहायता किसी प्रजनक को एक बार प्रदान की जायेगी।

विशिष्ट गुणवत्ता वाली रानी मधुमक्खी और कालोनी की लागत अधिक हैं, और, इसलिए विशिष्ट मधुमक्खी कालोनी की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम 250 रू. प्रति कालोनी के लिए लागत की 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता समर्थन प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी कुल 20 कालोनी के लिए राजसहायता समर्थन प्राप्त करेंगे। मधुमक्खी कालोनियों की मरम्मत के लिए मानक मधुमक्खी छत्ते पूर्व अपेक्षित है। इसलिए, गुणवत्ता वाले छत्तों और उपस्करों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राजसहायता समर्थन छत्तों/उपस्करों की लागत के 50% की दर से या 350 रू. प्रति सेट, इनमें से जो भी कम हो ; प्रदान की जायेगी।